## न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी ,देसूरी (पाली)

पीठासीन अधिकारी – श्री रवि विजय (आर. ए. एस.)

राजस्व वाद प्रकरण संख्या गत – 11/2016

दायरा तिथी – 28.01.2016

नये प्रकरण संख्या –05/2019

**दायरा तिथी–12.4.2019**

| वादी:– | बनाम | प्रतिवादीगण: – |
|---|---|---|
| कानाराम पुत्र जेपारामजी<br>जाति–राईका,निवासी–खारची<br>तहसील–देसूरी,जिला–पाली<br>(राज0) | | 1–दरगाराम पुत्र जेपारामजी,<br>2–वरदाराम पुत्र जेपारामजी<br>जातिगण–राईका,निवासीगण–<br>खारची,तहसील–देसूरी,<br>जिला–पाली(राज0)<br>3–राजस्थान–सरकार जरिये<br>तहसीलदार,देसूरी |

दावा बाबत –53, 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955

उपस्थित:–

1–श्री मनोहरदास वैष्णव अधिवक्ता वादी की ओर से

2–श्री दिव्य प्रकाश अधिवक्ता प्रतिवादीगण संख्या–1 व 2 की ओर से

## –:: निर्णय ::–

दिनांक –18.4.2019

वाद के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि वादी द्वारा वाद विरूद्व प्रतिवादीगण बाबत विभाजन कृषि भूमि एवं घोषणा खातेदारी का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौजा ग्राम खारची तहसील–देसूरी मे वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या–1 व 2 की संयुक्त खातेदारी की कब्जा एवं काश्त शुदा कृषि भूमि खसरा नम्बर–204 रकबा–0.54 हैक्टर, किस्म–बारानी दोयम, खसरा नम्बर–220 रकबा– 1.01 हैक्टर, किस्म–चाही सोयम, जाव सोयम, खसरा नम्बर–221 रकबा–0.39 हैक्टर, किस्म–चाही सोयम,जाव सोयम, खसरा नम्बर–222 रकबा–0.01 हैक्टर, किस्म–गे0मु0, खसरा नम्बर–223 रकबा–0.07 हैक्टर, किस्म– गे0मु0, खसरा नम्बर– 224

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

लगातार पेज संख्या–2 पर....

रकबा–0.19 हैक्टर, किस्म–जाव सोयम, चाही सोयम, खसरा नम्बर–225 रकबा–0.33 हैक्टर, किस्म–चाही सोयम, खसरा नम्बर–227 रकबा–0.50 हैक्टर, किस्म–जाव सोयम चाही सोयम, खसरा नम्बर–228 रकबा–0.18 हैक्टर, किस्म–जाव सोयम,चाही सोयम, खसरा नम्बर–229 रकबा–0.17 हैक्टर, किस्म–जाव सोयम, चाही सोयम, कुल खसरा –10 कुल रकबा–3.39 हैक्टर, कुल लगान रूपये–39.12 वादी व प्रतिवादी संख्या–1 व 2 के संयुक्त खातेदारी की भूमि है जिसकी पुष्टि खतौनी सम्वत 2070–2073 से होती है। सेटलमेन्ट से पूर्व रेकर्ड के अवलोकन से यह भी जाहिर है कि वादग्रस्त भूमि गत खसरा नम्बर–272 वादी व प्रतिवादीगण के पिता जेपा पुत्र लच्छा को वर्ष 1971 मे 8 बीघा एवं वर्ष 1977 मे 13 बीघा भूमि नियमन/आवंटन की गई थी एवं वर्तमान मे उक्त भूमि वादी व प्रतिवादीगण के संयुक्त खातेदेारी मे दर्ज है।जिसमे से वादी का 1/3 हिस्सा,प्रतिवादी संख्या–1 का 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या–2 का 1/3 हिस्सा संयुक्त रूप से दर्ज है। प्रतिवादी संख्या–1 द्वारा जरिये पंजीकृत बख्शीश दिनांक 16.07.2014 को उसके द्वारा धारित 1/3 हिस्से मे से 1/3 हिस्सा यानि कुल आराजियात का 1/9 हिस्सा प्रतिवादी संख्या–2 को हस्तान्तरित किया जा चुका है। ऐसी स्थिति मे वादी के हिस्से मे 1/3 व प्रतिवादी संख्या–1 के हिस्से मे 2/9 वां हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या–2 के हिस्से मे 4/9 भूमि हिस्सा बंट मे रहती है। इसी अनुसार वादी एवं प्रतिवादी के मध्य खातेदारी घोषणा एवं विभाजन का वाद स्वीकार करना आवश्यक है मौके पर इसी हिस्से अनुसार अपने अपने बंट की भूमि पर काबिज है एवं काश्त करते आ रहे है परन्तु राजस्व रेकर्ड मे वादी एव्र प्रतिवादीगण के हिस्से खोले हुए नही है जिससे काश्त करने मे समस्या आती है जिससे वादी अपनी बंट शुदा खातेदारी का 1/3 हिस्सा घोष्ति करवाने का कानूनन अधिकारी है एण्वं भूमि का कानूनन बाई मिटस एण्ड बाउण्ड विधिक बंटवाडा नही हुआ है वादी वादग्रस्त आराजियात का विधिक बाई मिटस एण्ड बाउण्ड बंटवाडा कर अपनी खातेदारी हिस्से की आराजी का अलग बंट करवाना चाहता है प्रतिवादीगण को कई बार कहने पर भी तैयार नही होने से वाद धारा–53 व 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत घोषणा विभाजन हेतु विरूद्ध प्रतिवादीगण के प्रस्तुत किया गया।

उपरोक्तानुसार वाद प्रस्तुत कर संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि ग्राम खारची के खसरा नम्बरान– 204, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 227, 228, 229, कुल रकबा–3.39 हैक्टर मे वादी का 1/3 हिस्सा घोषित कराने वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य माफिक खातेदारी हिस्से का कानूनन बाई मिटस एण्ड बाउण्ड बंटवारा करवाया जाकर वादी का 1/3 हिस्सा का अलग बंट कर लगान, रकबा अलग कर राजस्व अभिलेख मे अमल दरामद किये जाने का निवेदन किया गया ।

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या–1 से 2 की ओर से जवाब मय काउण्टर क्लेम

लगातार पेज संख्या–3 पर....

प्रस्तुत किया गया जिसका जवाब वादी द्वारा प्रस्तुत कर जाहिर किया कि प्रतिवादीगण ने गलत तथ्यो के आधार पर काउण्टर क्लेम पेश किया है जो काबिल खारिज के है।

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन किया गया। पत्रावली एवं रेकर्ड अध्ययन से जाहिर है कि वादग्रस्त कृषि भूमि मौजा ग्राम खारची, तहसील–देसूरी के खसरा नम्बरान– 204, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 227, 228, 229, कुल रकबा–3.39 हैक्टर कुल लगान 39.12 रूपये की वादी व प्रतिवादी संख्या–1 व 2 के संयुक्त खातेदारी की भूमि है जिसकी पुष्टि खतौनी सम्वत 2070–2073 से होती है। सेटलमेन्ट से पूर्व रेकर्ड अवलोकन से यह भी जाहिर है कि वादग्रस्त भूमि गत खसरा नम्बर–272 वादी व प्रतिवादीगण के पिता जेपा पुत्र लच्छा को वर्ष 1971 के 8 बीघा एवं वर्ष 1977 मे 13 बीघा भूमि नियमन की गई थी एवं वर्तमान मे उक्त भूमि वादी व प्रतिवादीगण के संयुक्त खातेदारी मे दर्ज है जिसमे से वादी का 1/3 हिस्सा प्रतिवादीगण संख्या–1 का 1/3 हिस्सा व प्रतिवादीगण संख्या–2 का 1/3 हिस्सा संयुक्त दर्ज है प्रतिवादी संख्या–1 द्वारा जरिये पंजीकृत बख्शीश दिनांक 16.7.2014 द्वारा धारित 1/3 हिस्सा मे से 1/3 हिस्सा यानि कुल आराजियात का 1/9 हिस्सा प्रतिवादी संख्या–2 को हस्तान्तरित किया जा चुका है ऐसी स्थिति मे वादी के हिस्से में 1/3 व प्रतिवादीगण संख्या–1 के हिस्से में 2/9 तथा प्रतिवादीगण संख्या–2 के हिस्से के 4/9 हिस्सा बंट मे रहती है। इसी अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य खातेदारी घोषणा एवं विभाजन का वाद स्वीकार किया जाना कानूनन एवं अभिलेख स्थिति के अनुसार उचित प्रतीत होता है।

प्रतिवादीगण संख्या–2 द्वारा बिना दस्तावेजी साक्ष्य के प्रस्तुत काउण्टर क्लेम का जवाब वादी द्वारा प्रस्तुत किया गया जवाब के अवलोकन से जाहिर होता है कि प्रतिवादी संख्या–2 ने गलत तथ्यो के आधार पर तथा बिना दस्तावेजी साक्ष्य के काउण्टर क्लेम प्रस्तुत किया है जिसके तथ्य राजस्व रिकार्ड से मेल नही खाते है। जैसा कि प्रतिवादी संख्या–2 के पिता का नाम जेपाराम है नामान्तरकरण मे इसके पिता का नाम भोलाराम उर्फ जेपा लिखा है जो गलत है जेपा व भोलाराम दोनो भाई थे इस प्रकार गलत तथ्यो के आधार प्रतिवादी संख्या–2 ने काउण्टर क्लेम प्रस्तुत किया है जिससे वादी के हिस्से मे से कोई भूमि प्राप्त करने का अधिकारी नही है जिससे प्रतिवादी का संख्या–2 का प्रस्तुत काउण्टर क्लेम खारिज किया जाता है ।

अतः मौजा खारची स्थित उपरोक्तानुसार वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बरान–204,220, 221, 222, 223, 224, 225, 227, 228, 229, कुल रकबा–3.39 हैक्टर कुल लगान 39.12 रूपये के संबंध मे वादी को 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या–1 को 2/9 तथा प्रतिवादी संख्या–2 का 4/9 हिस्सा खातेदारी है। इसी हिस्सो के अनुरूप पक्षकार वादी एवं प्रतिवादीगण –1 व 2 के मध्य बाई मिटस एण्ड बाउण्ड के विभाजन की

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

लगातार पेज संख्या–4 पर....

**( 4 ) वादी–कानाराम बनाम प्रतिवादी–दरगाराम वगैराह**

प्राथमिक डिक्री लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प मगरतलाव मे दिनांक 8–5–2017 को पारित की गई प्राथमिक डिक्री आदेश की प्रति तहसीलदार देसूरी, पटवारी हल्का मगरतलाव को भिजवाई जाकर निर्देश दिये गये कि वे पक्षकारो मे बाई मिटस एण्ड बाउण्डस के विभाजन कर विभाजन रिपोर्ट न्यायालय मे पेश करे एवं विभाजन मे मे प्रत्येक पक्ष के हिस्से बंट मे रखी गई भूमि का पृथक–पृथक ब्यौरा यथा खसरा नम्बर,रकबा,किस्म किस्म भूमि लगान इत्यादि दर्शाते हुये तथा आवागमन हेतु रास्ता की उपलब्धता रखते हुये मय नजरी नक्शा मे प्रत्येक पक्ष के हिस्से बंट की भूमि को पृथक–पृथक रंगो से दर्शाते हुए रिपोर्ट पेश करे एवं विभाजन रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रकरण मे नियमानुसार विभाजन की फाईनल डिक्री जारी किये जाने के आदेश प्राथमिक डिक्री में दिये गये तथा पत्रावली फैसल शुमार कर दी गई।

दिनांक 08.05.2017 को पारित प्राथमिक डिक्री आदेश की अनुपालना मे वादी/प्रार्थी द्वारा प्रकरण मे अंतिम डिक्री पारित किये जाने हेतु प्रार्थना–पत्र के साथ प्राथमिक डिक्री की नकल की प्रति प्रस्तुत की गई। तहसीलदार देसूरी से विभाजन रिपोर्ट कमांक राजस्व/18/177 दिनांक 15.2.2018 प्राप्त हो चुकी है। प्रकरण पुनः दर्ज रजिस्टर कर विभाजन रिपोर्ट मय नजरी नक्शा पर अधिवक्तागण को सुना गया। मूल वाद पत्रावली 11/2016 का अवलोकन किया गया अधिवक्तागण ने तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत विभाजन रिपोट के अनुरूप अंतिम डिक्री आदेश पारित किये जाने का निवेदन गया।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं तहसीलदार देसूरी द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा के अनुरूप विभाजन की अंतिम डिक्री निम्नानुसार जारी की जाती है :–

| क.सं. | नाम खातेदार | खसरा नम्बर | रकबा | किस्म | | लगान |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | –कानाराम पुत्र जेपाराम | 204/1 | 0.17 | बा.दो. | 0.17 | 0.85 |
| | जाति–राईका सा.देह | 220 | 0.40 | चा.सो. | 0.13 | 2.60 |
| | खातेदार | | | जा.सो. | 0.27 | 1.89 |
| | | 224 | 0.19 | चा.सो. | 0.11 | 2.20 |
| | | | | जा.सो. | 0.08 | 0.56 |
| | | 225 | 0.33 | चा.सो. | 0.33 | 6.60 |
| | | योग 04 | 1.09 हैक्टर | | | 14.70 रू |

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

लगातार पेज संख्या–5 पर....

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2– वरदाराम पुत्र जेपाराम हि. 137/218 दरगाराम पुत्र जेपाराम हि.81/218 जाति राईका सा. देह खातेदार | 204 | 0.17 | बा.दो. 0.17 | 0.85 |
| | 204/2 | 0.18 | बा.दो. 0.18 | 0.90 |
| | 220/1 | 0.61 | चा.सो. 0.27 | 5.40 |
| | | | जा.सो. 0.34 | 2.38 |
| | 221 | 0.39 | चा.सो. 0.16 | 3.20 |
| | | | जा.सो. 0.23 | 1.61 |
| | 227 | 0.48 | चा.सो. 0.17 | 3.40 |
| | | | जा.सो. 0.31 | 2.17 |
| | 228 | 0.18 | चा.सो. 0.07 | 1.40 |
| | | | जा.सो. 0.11 | 0.77 |
| | 229 | 0.17 | चा.सो. 0.07 | 1.40 |
| | | | जा.सा 0.10 | 0.70 |
| योग | 07 | 2.18 हैक्टर | | 24.18 रू |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3– कानाराम पुत्र जेपाराम हि. 1/3 वरदाराम पुत्र जेपाराम हि. 5/12,दरगाराम पुत्र जेपाराम हि. 1/4 जाति–राईका सा.देह खातेदार | 204/3 | 0.02 | बा.दो. 0.02 | 0.10 |
| | 222 | 0.01 | गे.मु. | |
| | 223 | 0.07 | गे.मु. | |
| | 227/1 | 0.02 | जा.सो. 0.02 | 0.14 |
| योग | 04 | 0.12 हैक्टर | | 0.24 रू |

अतः उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अमलदरामद एवं नक्शें मे तरमीम किया जावें। तहसीलदार देसूरी द्वारा प्रस्तुत विभाजन रिपोर्ट मय नजरी नक्शा इस निर्णय एवं डिकी का भाग माना जावें। कुल लगान राशि 39.12 रूपये का पांच गुणा पर देय मुद्रांक के बतौर रूपये 10/– नोन

लगातार पेज संख्या–6 पर.............

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

(6) वादी–कानाराम बनाम प्रतिवादी–दरगाराम वगैराह

ज्युडिशियल स्टाम्प वादी पेश करें। अंतिम डिक्री पर्चा जारी हो। तहसीलदार देसूरी को राजस्व रिकॉर्ड मे अमलदरामद हेतु लिखा जावें। पत्रावली फेसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।

सहायक कलेक्टर
देसूरी

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

निर्णय आज दिनांक– 18.04.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
देसूरी

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

# अंतिम डिगरी बमुकदमे इब्तदाई

( ओ. 21 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी )

**अज अदालत** – सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,देसूरी(राज0)

**बइजलास** – श्री रवि विजय (आर.ए.एस.)

| वादी :– | बनाम | प्रतिवादीगण:– |
|---|---|---|
| कानाराम पुत्र जेपाराम,जाति राईका, निवासी–खारची, तहसील–देसूरी,जिला–पाली (राज0) | | (1)–दरगाराम पुत्र जेपाराम<br>(2)–वरदाराम पुत्र जेपाराम<br>जातिगण–राईका,निवासीगण खारची,तहसील–देसूरी जिला–पाली(राज0)<br>(3) – राजस्थान–सरकार जरिये तहसीलदार,देसूरी |

दावा– 53, 88 आर0टी0एक्ट

मुकदमा नम्बर–11/2016
नये प्रकरण संख्या–05/2019

यह मुकदमा आज वास्ते इन फिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजिर वादी के वकील श्री मनोहरदास वैष्णव मिनजानिब मुद्दई व प्रतिवादीगण के वकील श्री दिव्यप्रकाश मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि –

वाद वादी स्वीकार किया जाता है कि मौजा खारची,तहसील–देसूरी के खसरा नम्बरान कमशः–204, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 227, 228, 229 रकबा कमशः–0.54 हैक्टर, किस्म–बा0दो0, 1.01 हैक्टर, किस्म–चा0सो0, जा0सो0, 0.39 हैक्टर, किस्म–चा0सो0जा0सो0, 0.01 हैक्टर, किस्म–गै0मु0, 0.07हैक्टर, किस्म–गै0मु0 ,0.19 हैक्टर, किस्म–जा0सो0,चा0सो0, 0.33 हैक्टर,किस्म–चा0सो0, 0.50 हैक्टर, किस्म–जा0सो0,चा0सो0, 0.18 हैक्टर, किस्म–जा0सो0चा0सो0, 0.17 हैक्टर, किस्म–जा0सो0,चा0सो0 कुल रकबा–3.39 हैक्टर कुल लगान रूपये–39.12 के संबंध मे वादी को 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या–1 को 2/9 वां हिस्सा तथा प्रतिवादीगण संख्या–2 को 4/9 वां हिस्सा खातेदोरी दर्ज है। इसी हिस्सो के अनुरूप वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या–1 व 2 के मध्य बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के विभाजन की प्राथमिक डिकी लोक अदालत कैम्प मगरतलाव मे दिनांक 8.5.2017 को पारित की गई। आदेश की पालना में तहसीलदार,देसूरी द्वारा निर्देशानुसार पक्षकारान के मध्य बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के विभाजन कर विभाजन रिपोर्ट मय नजरी

4

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

लगातार पेज संख्या–2 पर..........

नक्शा के प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात प्राथमिक डिक्री मे पारित आदेश के अनुरूप तहसीलदार,देसूरी द्वारा प्रस्तुत विभाजन रिपोर्ट मय नजरी नक्शा के अनुरूप विभाजन की अंतिम डिक्री जारी की जाती है। प्रतिवादीगण संख्या–1 व 2 द्वारा काउण्टर क्लेम बिना दस्तावेजी साक्ष्य के प्रस्तुत होने व मेल नही खाने से खारिज किया जाता है।

(1) –कानाराम पुत्र जेपाराम जाति–राईका, निवासी–खारची खसरा नम्बर–204/1 रकबा–0.17 हैक्टर,किस्म–बा0दो0, खसरा नम्बर–220रकबा–0.40 हैक्टर, किस्म–चा0सो0, जा0सो0, खसरा नम्बर–224रकबा–0.19हैक्टर, किस्म–चा0सो0,जा0सो0, खसरा नम्बर–225रकबा–0.33 हैक्टर,किस्म–चा0सो0 कुल रकबा–1.09 हैक्टर, कुल लगान रूपये–14.70 रखीगई है।

(2) – वरदाराम पुत्र जेपाराम हिस्सा 137/218 दरगाराम पुत्र जेपाराम हिस्सा 81/218 जातिगण–राईका, निवासीगण–खारची खातेदार के खसरा नम्बर–204 रकबा–0.17 हैक्टर, किस्म–बा0दो0, खसरा नम्बर–204/2 रकबा–0.18 हैक्टर, किस्म–बा0दो0,खसरा नम्बर–220/1 रकबा–0.16 हैक्टर, किस्म–चा0सो0, जा0सो0, खसरा नम्बर–221 रकबा–0.39 हैक्टर, किस्म–चा0सो0,जा0सो0, खसरा नम्बर–227 रकबा–0.48 हैक्टर, किस्म–चा0सो0, जा0सो0, खसरा नम्बर–228 रकबा–0.18हैक्टर, किस्म–चा0सो0जा0सो0, खसरा नम्बर–229 रकबा–0.17हैक्टर, किस्म–चा0सो0, जा0सो0 कुल रकबा–2.18 हैक्टर, कुल लगान रूपये–24.18 रखी गई।,

(3) –कानाराम पुत्र जेपाराम हिस्सा 1/3 वरदाराम पुत्र जेपाराम हिस्सा 5/12 दरगाराम पुत्र जेपाराम हिस्सा 1/4 जातिगण–राईका निवासीगण खारची खातेदार खसरा नम्बर–204/3 रकबा–0.2 हैक्टर, किस्म–बा0 दो0, खसरा नम्बर–222 रकबा–0.01 हैक्टर, किस्म–गै0 मु0,खसरा नम्बर–223 रकबा–0.07हैक्टर, किस्म–गै0 मु0, खसरा नम्बर–227/1 रकबा–0.02 हैक्टर, किस्म–जा0सो0 कुल रकबा–0.12 हैक्टर, कुल लगान–0.24 रूपये रखी गई ।

अतः उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद एवं नक्शे मे तरमीम किया जावे।विभाजन रिपोर्ट मय नजरी नक्शा इस निर्णय एवं अंतिम

लगातार पेज संख्या–3 पर.........

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

डिक्री का भाग माना जावे।पालना हेतु तहसीलदार,देसूरी को लिखा जावे।पत्रावली फैसल शुमार हो।

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)
देसूरी

नीज................ मुबलिक.................. बाबत ...........खर्चा इस मुकदमे मय सूद व शहर.....................फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक ............ को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख–18.4.2019

मोहर

दस्तखत– सहायक कलेक्टर
ओहदा– (एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

| मुद्दई | रू0 | पैसे | मुद्दायला | रू0 | पैसे |
|---|---|---|---|---|---|
| स्टाम्प अर्जी दावा | | | स्टाम्प वकालत नामा | | |
| स्टाम्प वकालत नामा | | | स्टाम्प अर्जी | | |
| स्टाम्प वजह सबूत | | | मेहनताना वकील | | |
| मेहनताना वकील | | | खर्चा वहन | | |
| खर्चा गवाहान | | | फीस कमिश्नर | | |
| फीस कमिश्नर | | | बाबत इजराय हुक्म नामा | | |
| बाबत इजराय हुक्मनामा | | | मुत्फरिक | | |
| मिजान | | | मिजान | | |

नोटः–इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो न हो दर्ज किया जावे ।